

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)


आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
8/09	136 CR Act	— चामलखेडी	दुबडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
राजशतक	बनाम	राजशतक	

वकील :- भावान ललित एडवो. आदेश पत्रक वकील :-


दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

14/8/09  
 अधिकाधिक भागी द्वारा प्राथमिक पत्र अंतर्गत धारा 136 CR Act विषय अग्रणीकरण के इस चामलख में पेश किया गया, रिपोर्ट सारिस्ता का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाने तथा अग्रणीकरण को परिधि सम्मत तलब कर पत्रावली दिनांक 15/4/09 को पेश हो।


15/4/09  
 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 21/5/09 को पेश हो।

  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारा),

24/5/09  
 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 26/6/09 को पेश हो।

  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारा),

26/6/09  
 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 31/7/09 को पेश हो।

  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारा),

## प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

11/10/21

पञ्जीवली उपखण्ड प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 शिविर  
 ग्राम पंचायत वार्ड पर पेश हुई। मुताबिक तहसीलदार  
 रिपोर्ट अनुसार वार्ड शमरतन 510 मूलचंद जाति बाकड  
 ग्राम रीढ़डा को जमावदी सम्वत् - 2072 - 2075 में खता 114  
 114 पर रतन पुत्र मूल्या दि०/१३ में नाम दर्ज है प्राची रतन  
 पुत्र मूल्या के स्थान पर शमरतन पुत्र मूलचंद कराने  
 चाहता है। उक्त प्राची शमरतन के सम्बन्ध में ग्राम  
 पञ्जीवली पञ्च कर जान्य की गई। मजमे आक  
 में जान्य करने पर प्राची कि रतन पुत्र मूल्या को रतनलाल  
 पुत्र मूलचंद के नाम से भी जाना जाता है। अतः रतन  
 पुत्र मूल्या के स्थान पर रतनलाल पुत्र मूलचंद किया जाना  
 सही है। मुताबिक तहसीलदार इका की रिपोर्ट के  
 आधार पर प्राची का नाम रतन उर्फ रतनलाल एवं  
 पिता का नाम मूल्या के स्थान पर मूलचंद किया जाता है  
 तहसीलदार इका को राजस्व रिकार्ड में अमल कराने  
 करने के आदेश दिये जाते हैं आदेश प्रथम से जारी  
 है। पञ्जीवली पंचाल सुभार डेकर दायित्व दफ्तर

है।

उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा, जिला बारां (राज०)

मु.नं.  
 19

11/10/21

# “प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी .....  
छबड़ा जिला- बारां

## -: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी...<sup>हल्का</sup> बारां...<sup>व भू.अ.नि. क्र. ३३३/३१/२०२२</sup>  
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार <sup>बारां</sup>नायब-तहसीलदार-बारां की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की  
धारा 136 के अनुसरण में ग्राम...<sup>छोक्ल रेवड़ी</sup>...तहसील <sup>बारां</sup> जिला बारां की जमाबन्दी सम्बन्ध...<sup>२०७२-२०७५</sup>...  
में खाता संख्या...<sup>११५</sup>...में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड  
में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	छोक्ल रेवड़ी	114	रतन पुत्र मूल्या	रतन उर्फ रतन लाल पुत्र मूल्या उर्फ मूलचंद

(<sup>मनीषा निवारी</sup>)  
उपखण्ड पीठासीन अधिकारी  
छबड़ा, जिला उपखण्ड अधिकारी

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2021/...<sup>केम्प बारां</sup>

दिनांक.....

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार...<sup>हल्का</sup>...को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र  
किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री...<sup>रतन लाल पुत्र मूलचंद धाकर No-छोक्ल रेवड़ी</sup>...की सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(<sup>मनीषा निवारी</sup>)  
उपखण्ड पीठासीन अधिकारी  
छबड़ा, जिला उपखण्ड अधिकारी